उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

राज्यसात वाद संख्या–116/91
राज्य बनाम विश्वनाथ चौधरी

–: आदेश :–

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के ज्ञापांक 01 दिनांक 09.11.1991 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में जप्त 590 क्विंटल चावल, 08 क्विंटल 10 किलो आटा तथा 04 क्विंटल अरहर दाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया एवं धारा 6B के अन्तर्गत विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 05.06.1992 को विपक्षी के अनुरोध पर जप्त सामान का मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की गई तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलोक के बाद दिनांक 18.09.1992 को तीन लाख के दो जमानतदारों पर मुक्त करने तथा विपक्षी को बंध पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया। दिनांक 23.01.1993 को बंध पत्र दाखिल किया गया और स्वीकृत करते हुए मुक्ति आदेश पत्रांक 325 दिनांक 15.02.1993 द्वारा निर्गत किया गया।

विपक्षी दिनांक 29.03.2011 से न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहना इस बात को द्योतक है कि उन्हें मामले में कोई रूचि नहीं है।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में जप्त 590 क्विंटल चावल, 08 क्विंटल 10 किलो आटा तथा 04 क्विंटल अरहर दाल को राज्यसात किया जाता है।

उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।